रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01112021-230862
CG-DL-E-01112021-230862

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4225] **नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 1, 2021/कार्तिक 10, 1943**
No. 4225] **NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 1, 2021/KARTIKA 10, 1943**

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2021

(आय-कर)

का.आ. 4586(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर नियम, 1962 के नियम 10गक के उपनियम (7) के परंतुक के साथ पठित, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 92ग की उपधारा (2) के तीसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित करती है कि जहां धारा 92ग के अधीन अवधारित आसन्निकट कीमत और ऐसी कीमत, जिस पर अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विर्निदिष्ट देशी संव्यवहार वास्तविक रूप से किया गया है, के बीच का अंतर, थोक व्यापार के संबंध में, बाद वाली कीमत के एक प्रतिशत से अधिक नहीं है और सभी अन्य मामलों में, बाद वाली कीमत के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं है, वहां ऐसी कीमत को, जिस पर अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विर्निदिष्ट देशी संव्यवहार वास्तविक रूप से किया गया है, निर्धारण वर्ष 2021-2022 के लिए आसन्निकट कीमत समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण--इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "थोक व्यापार" से ऐसे माल के व्यापार का ऐसा अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विर्निदिष्ट देशी संव्यवहार अभिप्रेत है जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात् :--

(i) तैयार माल की क्रय लागत ऐसे व्यापारिक क्रियाकलापों से संबंधित कुल लागत का अस्सी प्रतिशत या उससे अधिक है ; और

(ii) ऐसे माल की औसत मासिक संवरण सूची, ऐसे व्यापारिक क्रियाकलापों से संबंधित विक्रय के दस प्रतिशत या उससे कम की है ।

[अधिसूचना सं. 124/2021/फा. सं. 500/1/2014-एपीए-II]

नेहा नौटियाल, अवर सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2021-2022 के लिए थोक व्यापार के लिए एक प्रतिशत और सभी अन्य मामलों में तीन प्रतिशत की टॉलरेंस रेंज का उपबंध करती है । यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से कोई भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2021

(INCOME TAX)

S.O. 4586(E).—In exercise of the powers conferred by the third proviso to sub-section (2) of section 92C of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)(hereafter referred to as the 'said Act'), read with proviso to sub-rule (7) of rule 10CA of the Income-tax Rules, 1962, the Central Government hereby notifies that where the variation between the arm's length price determined under section 92C and the price at which the international transaction or specified domestic transaction has actually been undertaken does not exceed one per cent. of the latter in respect of wholesale trading and three per cent. of the latter in all other cases, the price at which the international transaction or specified domestic transaction has actually been undertaken shall be deemed to be the arm's length price for Assessment Year 2021-2022.

***Explanation*.-** For the purposes of this notification, "wholesale trading" means an international transaction or specified domestic transaction of trading in goods, which fulfils the following conditions, namely:-

(i) purchase cost of finished goods is eighty per cent. or more of the total cost pertaining to such trading activities; and

(ii) average monthly closing inventory of such goods is ten per cent. or less of sales pertaining to such trading activities.

[Notification No. 124/2021/F. No. 500/1/2014-APA-II]

NEHA NAUTIYAL, Under Secy.

Explanatory Memorandum

The notification provides for tolerance range of one per cent. for wholesale trading and three per cent. in all other cases for assessment year 2021-2022. It is certified that none will be adversely affected by the retrospective effect being given to the notification.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.11.01 21:59:51 +05'30'